



दूरभाष 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2467 / 05 / 76 / एक / 2015-16  
सेवा में,

दिनांक : 09 सितम्बर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,  
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	02981000135746	IFSC Code HDFC0000298	379.292

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0नि0 कानपुर	मिर्जापुर पार्ट-"एल" में विजय प्रताप सिंह के मकान से श्याम चरन के मकान तक, श्याम चरन के मकान से जगदम्बा तिवारी, जगजीत यादव के मकान तक, राम लखन कुशवाहा के मकान से विवेक सविता के मकान तक, अनिल तिवारी के मकान से वेद राम के मकान तक, नवीन कुमार के मकान रतन शुक्ला के मकान तक, लखन सिंह यादव के मकान से एल0 के0 बाजपेयी के मकान तक, कालिका प्रसाद के मकान से अरविन्द मिश्रा, ध्यान सिंह के मकान तक, जय प्रकाश यादव के मकान से ब्रिजेश यादव के मकान तक एवं सुरेश शुक्ला के मकान से जय प्रकाश यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	44.441
2	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0नि0 कानपुर	मिर्जापुर पार्ट-"एम" में शानू सिंह के मकान से विरेन्द्र कटियार, खुशी राम के मकान तक, अशोक तिवारी के मकान से राम बादल पाण्डेय के मकान तक, नन्दलाल के मकान से बी0के0 पाल, आर0 के0 कटियार के मकान तक, आर0 एन0 सिंह के मकान से आर0 के0 कटियार के मकान तक, मनोज श्रीवास्तव के मकान से श्री राम शेखर के मकान तक, सुरेश चन्द्र शुक्ला के मकान से राधेश्याम पाल, मनोज श्रीवास्तव के मकान तक, राधवेन्द्र यादव के मकान से राम कुमार राजपूत के मकान तक, विधार्थी तिवारी के मकान से सतीश अग्निहोत्री, राजेश मिश्रा के मकान तक, राजेश मिश्रा के मकान से बी0 एल0 आर0 न्यू स्कूल तक, जीतेन्द्र अवस्थी के मकान से मुन्ना गुप्ता, मन्दिर तक एवं गुड्डू यादव के मकान से पनकी रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	71.198



340/2

दूरभाष - 2286709  
2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
3	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	मिर्जापुर पार्ट-"एन" में कटियार के मकान से एस०पी० शुक्ला, वंश बहादुर के मकान तक, राजेन्द्र कुमार शुक्ला के मकान से एस०पी० सिंह के मकान तक, महेन्द्र सिंह यादव के मकान से एस० पी० सिंह के मकान तक, दयाराम भारकर के मकान से राम चन्द्र सैनी के मकान तक, एस० पी० सिंह के मकान से रिकू यादव के मकान तक, फौजी शॉप से पटलेश्वर मन्दिर (नीरज मिश्रा) तक, पटलेश्वर मन्दिर से राजेन्द्र सविता, भरत ठाकुर के मकान तक, आर० एन० दुबे के मकान से भरत ठाकुर के मकान तक, राम मनोहर दीक्षित के मकान से मनोज मिश्रा के मकान तक, अश्वनी ट्रेडर्स से वी०पी० सिंह गौड़, नई शिवली रोड तक, माँ विन्देश्वरी शिक्षा निकेतन से मिथलेश मिश्रा के मकान तक एवं वी०पी० सिंह गौड़ के मकान से जगलेश्वर मन्दिर, विजय अवस्थी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	157.290
4	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	सनिगवाँ गाँव में लालजी कुशवाहा के मकान से मुन्ना पोस्ट मास्टर के मकान तक, दिनेश कुशवाहा के मकान से विजय चन्द्र सक्सेना के मकान तक, श्रीमती चांदनी देवी स्मारक से मेन रोड तक, हसीन बानो के मकान से रघुवीर कुशवाहा के मकान तक, बरनत तिवारी के मकान से मो० इस्लाम के मकान तक, सत्य नारायण कश्यप के मकान से इन्द्र भूषण शुक्ला के मकान तक, राम सिंह कुशवाहा के मकान से जगमोहन चौरसिया के मकान तक, राम नारायण साहु के मकान से मुन्ना राजपूत के मकान तक, गुड्डन पाल के मकान से अनूप तिवारी के मकान तक, हरीश पाण्डेय के मकान से नागेन्द्र पाण्डेय के मकान, छुटई कहार के मकान तक, प्रेम लोहार के मकान से शिव शंकर विश्वकर्मा के मकान तक, भरत पाण्डेय के मकान से अन्नपूर्णा स्वीट हाउस (मेन रोड) तक, सीताराम वंशी के मकान से बर्षावन नाथ बाबा मन्दिर तक, लक्ष्मीशंकर मन्दिर से राजेन्द्र कहार के मकान तक, महेश चौरसिया के मकान से धर्मेन्द्र कुशवाहा के मकान तक, पुष्पेन्द्र कुशवाहा के मकान से शौकत अली के मकान, राकेश सविता के मकान तक एवं नन्दा वाल्मीकि के मकान से राजू वाल्मीकि के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	47.866
5	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	देवकी नगर पार्ट-"ए" में कदीर के मकान से नसीरुद्दीन के मकान एवं संजय गुप्ता के मकान से सलीम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.176
6	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	देवकी नगर पार्ट-"बी" में अतीक कूलर वाला के मकान से संजय के मकान तक एवं अतीक परचून की दुकान से विनय निगम एडवोकेट के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.628



24/3

दूरभाष- 2286709

2286710

नव वेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
7	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	देवकी नगर पार्ट-'सी' में प्रदीप चन्द्र अग्रवाल के मकान से कमल किशोर मिश्रा के मकान, सरला गुप्ता के मकान तक एवं राम गोपाल गौतम के मकान से वहीद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.381
8	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	देवकी नगर पार्ट-'डी' में मुख्तार के मकान से फहीम के मकान तक, रवी गुप्ता के मकान से पुरुषोत्तम तिवारी के मकान तक, आजाद के मकान से चुन्नु के मकान तक, मरिजद के साथ इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.312
	योग				379.292

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दश में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्तित अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दश में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि लुडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



340/4

दस्तावेज 2286/09

2286/10

नव योजना केन्द्र, 10 आशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक